विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

सम्पूर्ण राज्य में एक नियत समय अवधि में पारदर्शी तरीके से अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 लागु किया गया है | इसके अधीन सभी भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने कि कार्यवाही चल रही है|

अधिकार अभिलेख तैयार हो जाने पर रैयतो को धारित भूमि का एक प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध होगा जिससे उन्हें ऋण आदि प्राप्त करने में सुविधा होगी, साथ हि साथ राज्य में भूमि भूमि विवाद में भी कमी आएगी |